अधिसूचना   नई दिल्ली, तारीख 1 मार्च, 2016

सं0 7/2016- केंद्रीय उत्पाद-शुल्क

सा.का.नि.   (अ).- केंद्रीय सरकार, केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 5क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) अधिसूचना सं0 07/2012-केंद्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 17 मार्च, 2012 में, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में, सा.का.नि. सं0 158(अ), तारीख 17 मार्च, 2012 द्वारा प्रकाशित की गई थी, निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना की सारणी में क्रम संख्यांक 7 के सामने स्तंभ (3) में की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:--

"जिन पर कोई ब्रांड नाम है या जिसका विक्रय किसी ब्रांड नाम से किया जाता है और खुदरा विक्रय कीमत (खु.वि.की.) 1000 रु0 और उससे अधिक है, से भिन्न कपास के सभी माल, जिनमें कोई अन्य टैक्सटाइल सामग्री नहीं है ।

स्पष्टीकरण – शंकाओं के निवारण के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि 'कपास के माल जिसमें कोई अन्य टैक्सटाइल सामग्री नहीं है' के अंतर्गत कपास के फैब्रिक से बना वह माल आएगा जिसमें कोई अन्य टैक्सटाइल सामग्री नहीं है, भले ही उनमें कपास से भिन्न सामग्री के सिलाई, बंधन, होल्डिंग या अलंकरण के लिए प्रयुक्त सिलाई का धागा, डोरी, लेबल, प्रत्यास्थ टेप, जिप बंधक और अन्य मदें क्यों न हो ।"

[फा.सं. 334/8/2016-टीआरयू]

(के.कालिमुत्तु)
अवर सचिव, भारत सरकार

टिप्पण : मूल अधिसूचना सं. 07/2012-केंद्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 17 मार्च, 2012 भारत के राजपत्र, असाधारण, में, सा.का.नि. 158(अ), तारीख 17 मार्च, 2012 में प्रकाशित की गई थी, और अधिसूचना सं.08/2013-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 1 मार्च, 2013 द्वारा, जो सा.का.नि.सं. 143(अ) तारीख 1 मार्च, 2013 द्वारा प्रकाशित की गई थी, अंतिम बार संशोधित की गई ।